

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

दिनांक 10.02.2022

संचिका सं. CICOM/R/P/22/00074

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
रेल मंत्रालय
रेल भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आर.टी.आई. आवेदन का अग्रेशन।

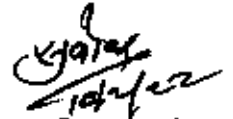
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवेदक में आममुल कुरैशी का दिनांकित 02.02.2022 आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 10.02.2022 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है, उक्त आर.टी.आई. आवेदन आपके विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित है।

अतः उक्त आर.टी.आई. आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आपको अग्रसारित किया जाता है। कृपया सूचना अधिकार अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के तहत वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें।

आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने हेतु निर्धारित शुल्क दस रुपये का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कर दिया गया है।

संलग्नक : मूल आर.टी.आई. आवेदन।


(सुधोष कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

प्रतिलिपि:-

में आममुल कुरैशी

- सूचना उक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।